

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)
 (पीठासीन अधिकारी), ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - उन्नाव

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 2283/25 तारख दिनांक 21/05/2025 निर्णय दिनांक 21/05/2025



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट			
1	<u>उन्नाव</u>	<u>2285</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना वडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश तहसिलदार कपासन की अनुशाखा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>उन्नाव</u> प.ह.ड.24-1-2025 खातासं <u>985</u> में वर्तमान प्रविष्ट वडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक	राजस्थान ग्रामीण बैंक		
			हस्ताक्षर पटवार	हस्ताक्षर मिरखवर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

प्रतिलिपि पालनाथ:-

1. पटवार पटवार मण्डल उन्नाव को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करीपासन जिला-चितौड़गढ

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन
 तहसीलदार कपासन